

प्रेस नोट— मुजफ्फरनगर

दिनांक— 07.04.2025

➤ थाना ककरौली पुलिस द्वारा पशु चोरी के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए दौराने पुलिस मुठभेड़ 01 अभियुक्त घायल सहित कुल 02 शातिर चोर अभियुक्तगण घायल/गिरफ्तार—

दिनांक 06.04.2025 को थाना ककरौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री अजीत कुमार मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 46/2025 धारा 305ए,317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. नदीम उर्फ हांडा पुत्र जमशेद निवासी मौहल्ला मिमलाना रोड मन्दिर वाली गली थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर व 2. महबूब पुत्र ईशाक निवासी मौहल्ला रेती थाना थानाभवन जनपद शामिल हाल पता मौ0 मोरी तैली वाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को दौराने पुलिस मुठभेड़ जटवाडा चौकी से सम्भलहेडा नहर पटरी की तरफ मायनर से गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी 02 रास भैंस, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप नम्बर यूपी 11 डीटी 1347 व 02 तमंचे मय 02 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 49/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ थाना खतौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 07.04.2025 को थाना खतौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री आरिफ अली मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 1199/09/24 धारा 323,504,506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त गुड्डा उर्फ मदन पुत्र जगवीर निवासी अद्वैत बिहार थाना खतौली, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➤ थाना जानसठ पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 07.04.2025 को थाना जानसठ पर नियुक्त उ0नि0 श्री धर्मवीर कर्दम मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 65/2025 धारा 76,333,352,351(2) व 7/8 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अनस पुत्र अनीस निवासी ग्राम सलारपुर थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर को सलारपुर रजवाहा हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया।

➤ थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 07.04.2025 को थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ0नि0 श्री किशनपाल सिंह मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 265/09/2024 धारा 336 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त सागर पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम नगवा थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन ग्राम नगवा से गिरफ्तार किया गया।